

SUPREME COURT

• The Supreme Court of India is the highest judicial court and the final court of appeal under the Constitution of India/ भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के तहत सबसे बड़ा न्यायिक कोर्ट और अपील का आखिरी कोर्ट है।



• India is a federal State and has a single and unified judicial system with three tier structure, i.e. Supreme Court, High Courts and Subordinate Courts/ भारत एक फेडरल राज्य है और यहाँ एक सिंगल और यूनिफाइड न्यायिक सिस्टम है, जिसका स्ट्रक्चर तीन लेवल का है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट।







- The promulgation of Regulating Act of 1773 established the Supreme Court of Judicature at Calcutta as a Court of Record, with full power & authority/ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के लागू होने से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ ज्यूडिकेचर की स्थापना एक कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड के रूप में हुई, जिसे पूरी शक्ति और अधिकार प्राप्त थे।
- It was established to hear and determine all complaints for any crimes and also to entertain, hear and determine any suits or actions in Bengal, Bihar and Orissa/ इसकी स्थापना किसी भी अपराध के लिए सभी शिकायतों को सुनने और तय करने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसी भी मुकदमे या कार्रवाई पर विचार करने, सुनने और तय करने के लिए की गई थी।
- The Supreme Courts at Madras and Bombay were established by King George III in 1800 and 1823 respectively. / मद्रास और बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किंग जॉर्ज III ने क्रमशः 1800 और 1823 में की थी।

- The India High Courts Act 1861 created High Courts for various provinces and abolished Supreme Courts at Calcutta, Madras and Bombay and also the Sadar Adalats in Presidency towns./ इंडिया हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 ने अलग-अलग प्रांतों के लिए हाई कोर्ट बनाए और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को खत्म कर दिया।
- These High Courts had the distinction of being the highest Courts for all cases till the creation of Federal Court of India under the Government of India Act 1935./ इन हाई कोर्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1935 के तहत फेडरल कोर्ट ऑफ़ इंडिया बनने तक सभी मामलों के लिए सबसे बड़ी कोर्ट होने का गौरव प्राप्त था।
- After India attained independence in 1947, the Constitution of India came into being on 26 January 1950. / 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
- The Supreme Court of India also came into existence and its first sitting was held on 28 January 1950./ भारत का सुप्रीम कोर्ट भी अस्तित्व में आया और इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई।
- The law declared by the Supreme Court is binding on all Courts within the territory of India./ सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी कोर्ट पर बाध्यकारी है।



Constitutional Provisions (संवैधानिक प्रावधान)

The Indian constitution provides for a provision of Supreme Court under Part V (The Union) and Chapter 6 (The Union Judiciary)./ भारतीय संविधान भाग V (संघ) और अध्याय 6 (संघ न्यायपालिका) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान करता है।

Articles 124 to 147 in Part V of the Constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, powers and procedures of the Supreme Court/ संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।

Article 124(1) states that there shall be a Supreme Court of India constituting of a Chief Justice of India (CJI) / अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के एक मुख्य न्यायाधीश (CJI) होंगे।






- Originally, the strength of the Supreme Court was fixed at eight / शुरू में, सुप्रीम कोर्ट की संख्या आठ तय की गई थी (1+7)
- At present, the Supreme Court consists of thirty-four judges / अभी, सुप्रीम कोर्ट में चौंतीस जज हैं (1 + 33)
- Supreme Court (Number of Judges) Bill of 2019 has added four judges to strength. It increased the judicial strength from 31 to 34, including the CJI./ 2019 के सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) बिल ने संख्या में चार जज और जोड़े हैं। इसने CJI सहित जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी है।
- Seat of Supreme Court: / सुप्रीम कोर्ट की सीट:
 - The Constitution declares Delhi as the seat of the Supreme Court./ संविधान दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट की सीट घोषित करता है।
 - It also authorizes the CJI to appoint other place or places as seat of the Supreme Court./ यह CJI को सुप्रीम कोर्ट की सीट के तौर पर दूसरी जगह या जगहों को नियुक्त करने का अधिकार भी देता है।
 - He can take decision in this regard only with the approval of the President/ वह इस संबंध में फैसला केवल राष्ट्रपति की मंजूरी से ही ले सकते हैं।



- The judges of the Supreme Court are appointed by the President./ सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
- The CJI is appointed by the President after consultation with such judges of the Supreme Court and high courts as he deems necessary./ CJI की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजों से सलाह करने के बाद करते हैं, जिन्हें वे ज़रूरी समझते हैं।
- Appointment of Chief Justice From 1950 to 1973: The practice has been to appoint the senior most judge of the Supreme Court as the chief justice of India. / चीफ जस्टिस की नियुक्ति 1950 से 1973 तक: यह चलन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को भारत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाए।
- This established convention was violated in 1973 when A N Ray was appointed as the Chief Justice of India by superseding three senior judges./ इस बने हुए नियम को 1973 में तोड़ा गया जब ए एन रे को तीन सीनियर जजों को नज़रअंदाज़ करके भारत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया।



• Again in 1977, M U Beg was appointed as the chief justice of India by superseding the then senior-most judge./ फिर 1977 में, एम यू बेग को उस समय के सबसे सीनियर जज को नज़रअंदाज़ करके भारत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया।



• This discretion of the government was curtailed by the Supreme Court in the Second Judges Case (1993), in which the Supreme Court ruled that the senior most judge of the Supreme Court should alone be appointed to the office of the Chief Justice of India./ सरकार के इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे जजों के मामले (1993) में कम कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को ही भारत के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए।





- Collegium system was born through "three judges case" and it is in practice since 1998. / कॉलेजियम सिस्टम "तीन जजों के केस" से शुरू हुआ था और यह 1998 से प्रैक्टिस में है।
- It is used for appointments and transfers of judges in High courts and Supreme Courts./ इसका इस्तेमाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए किया जाता है।
- There is no mention of the Collegium either in the original Constitution of India or in successive amendments/ भारत के मूल संविधान या बाद के किसी भी संशोधन में कॉलेजियम का कोई ज़िक्र नहीं है।
- The SC collegium is headed by the CJI (Chief Justice of India) and comprises four other senior most judges of the court/ SC कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI (चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया) करते हैं और इसमें कोर्ट के चार अन्य सबसे सीनियर जज शामिल होते हैं।
- A HC collegium is led by its Chief Justice and four other senior most judges of that court / एक HC कॉलेजियम का नेतृत्व उसके चीफ जस्टिस और उस कोर्ट के चार अन्य सबसे सीनियर जज करते हैं।

Through the 99th Constitutional
Amendment Act, 2014 the National
Judicial Commission Act (NJAC) was
established to replace the
collegium system for the
appointment of judges

99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2014 के ज़रिए जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम (NJAC) की स्थापना की गई थी। However, the Supreme Court upheld the collegium system and struck down the NJAC as unconstitutional on the grounds that the involvement of Political Executive in judicial appointment was against the "Principles of Basic Structure".

I.e. the "Independence of Judiciary".

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को सही ठहराया और NJAC को इस आधार पर गैर-संवैधानिक करार दिया कि जजों की नियुक्ति में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का शामिल होना "बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांतों" के खिलाफ है। यानी "न्यायपालिका की आज़ादी" के खिलाफ है।



QUALIFICATION FOR APPOINTMENT OF JUDGE

A person to be appointed as a judge of the Supreme Court should have the following qualifications:/ सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति में ये योग्यताएं होनी चाहिए:

- He should be a citizen of India./ वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- He should have been a judge of a High Court (or high courts in succession) for five years; or/ वह पांच साल तक किसी हाई कोर्ट (या लगातार हाई कोर्ट्स) का जज रहा हो; या
- He should have been an advocate of a High Court (or High Courts in succession) for ten years; or/ वह दस साल तक किसी हाई कोर्ट (या लगातार हाई कोर्ट्स) में वकील रहा हो; या
- He should be a distinguished jurist in the opinion of the president./ वह राष्ट्रपति की राय में एक जाने-माने कानून का जानकार होना चाहिए।

The Constitution has not prescribed a minimum age for appointment as a judge of the Supreme Court/ संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम उम्र तय नहीं की गई है।



OATH AND AFFIRMATION OF JUDGES

The judges have to take oath before the President or any person appointed by the President for this./ जजों को प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है।

In his oath, a judge of the Supreme Court swears:/ अपनी शपथ में, सुप्रीम कोर्ट का जज कसम खाता है:

- ❖ to bear true faith and allegiance to the Constitution of India;/ कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा;
- ❖ to uphold the sovereignty and integrity of India; / कि वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा;
- ❖ to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgement to perform the duties of the Office without fear or favour, affection or ill-will; and/ कि वह बिना किसी डर या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के, अपनी पूरी क्षमता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करेगा; और
- ❖ to uphold the Constitution and the laws/ कि वह संविधान और कानूनों को बनाए रखेगा।

जज का कार्यकाल TENURE OF JUDGES



The Constitution has not fixed the tenure of a judge of the Supreme Court. However, it makes the following three provisions in this regard:/ संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल तय नहीं किया है। हालांकि, इस संबंध में इसमें ये तीन प्रावधान हैं:

- 1. He holds office until he attains the age of 65 years/ वह 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं।
- 2. He can resign his office by writing to the President./ वह राष्ट्रपति को लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
- 3. He can be removed from his office by the President on the recommendation of the Parliament/ उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।

REMOVAL OF JUDGES

- A judge of the Supreme Court can be removed from his office by an order of the President./ सुप्रीम कोर्ट के जज को राष्ट्रपति के आदेश से उनके पद से हटाया जा सकता है।
- The President can issue the removal order only after an address by Parliament has been presented to him in the same session for such removal./ राष्ट्रपति यह हटाने का आदेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद द्वारा उसी सेशन में उन्हें ऐसा हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया हो।
- The address must be supported by a special majority of each House of Parliament (i.e. a majority of the total membership of that House and a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting)/ इस प्रस्ताव को संसद के हर सदन में विशेष बहुमत से समर्थन मिलना चाहिए (यानी उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत)।
- The Judges Enquiry Act (1968) regulates the procedure relating to the removal of a judge of the Supreme Court by the process of impeachment./ जज इन्क्वायरी एक्ट (1968) महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को रेगुलेट करता है।

The word 'impeachment' is not used in the constitution in relation to the removal of judges. However it is used only in the case of President.

जजों को हटाने के संबंध में संविधान में 'इम्पीचमेंट' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि, इसका इस्तेमाल सिर्फ़ राष्ट्रपति के मामले में किया जाता है। No judge of the Supreme Court has been impeached so far. Impeachment motions of Justice V Ramaswami (1991–1993) and the Justice Dipak Misra (2017-18) were defeated in the Parliament

सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज पर अब तक महाभियोग नहीं चलाया गया है। जस्टिस वी. रामास्वामी (1991-1993) और जस्टिस दीपक मिश्रा (2017-18) के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव संसद में गिर गए थे।

SALARIES AND ALLOWANCES OF JUDGES

The salaries, allowances, privileges, leave and pension of the judges of the Supreme Court are determined from time to time by the Parliament.

सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टी और पेंशन समय-समय पर पार्लियामेंट द्वारा तय किए जाते हैं।



JURISDICTION AND POWER OF SUPREME COURT

- Original jurisdiction: As a Federal court, the Supreme Court decides disputes between different units of the Indian Federation/ एक फेडरल कोर्ट के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट इंडियन फेडरेशन की अलग-अलग यूनिट्स के बीच के विवादों का फैसला करता है
- the Centre and one or more states; or/ सेंटर और एक या ज़्यादा राज्यों के बीच; या
- the Centre and any state or states on one side and one or more states on the other; or/ एक तरफ सेंटर और कोई राज्य या राज्य और दूसरी तरफ एक या ज़्यादा राज्यों के बीच; या
- between two or more states/ दो या ज़्यादा राज्यों के बीच
- the Supreme Court has exclusive original jurisdiction./ सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है।



Exclusive means, no other court can decide such disputes and original means, the power to hear such disputes in the first instance, not by way of appeal.

एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कोई और कोर्ट ऐसे विवादों पर फैसला नहीं कर सकता और ओरिजिनल का मतलब है कि ऐसे विवादों को पहली बार सुनने की पावर, अपील के ज़रिए नहीं।

WRIT JURISDICTION

- The Supreme Court is empowered to issue writs, including habeas corpus, mandamus, prohibition, quo-warranto and certiorari for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved citizen./ सुप्रीम कोर्ट के पास किसी पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो-वारंटो और सर्टिओरारी सहित रिट जारी करने का अधिकार है।
- However, the writ jurisdiction of the Supreme Court is not exclusive. The High Courts are also empowered to issue writs for the enforcement of the Fundamental Rights./ हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिव नहीं है। हाई कोर्ट्स को भी मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है।
- The writ jurisdiction of High court is broader than the Supreme Court./ हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ा है।

APPELLATE JURISDICTION

- The Supreme Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgements of the lower courts./ सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से एक अपील कोर्ट है और निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है।
- It enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified under four heads/ इसके पास एक बड़ा अपीलीय अधिकार क्षेत्र है जिसे चार भागों में बांटा जा सकता है:
- Appeals in constitutional matters/ संवैधानिक मामलों में अपील
- Appeals in civil matters/ सिविल मामलों में अपील
- Appeals in criminal matters/ आपराधिक मामलों में अपील
- Appeals by special leave/ विशेष अनुमति द्वारा अपील



ADVISORY JURISDICTION



- The Constitution under Article 143 authorizes the President to seek the opinion of the Supreme Court in the two categories of matters:/ संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को दो तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार है:
 - On any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise./ किसी भी कानून या तथ्य के सवाल पर जो सार्वजनिक महत्व का हो और जो सामने आया हो या जिसके सामने आने की संभावना हो।
 - On any dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instruments./ संविधान बनने से पहले की किसी संधि, समझौते, करार, एग्रीमेंट, सनद या ऐसे ही दूसरे दस्तावेज़ों से जुड़े किसी भी विवाद पर।

SUPREME COURT AS A COURT OF RECORD

As a Court of Record, the Supreme Court has two powers/ एक कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट के पास दो शक्तियां हैं:

- The judgements, proceedings and acts of the Supreme Court are recorded for perpetual memory and testimony. / सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कार्यवाही और काम हमेशा याद रखने और सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं।
- These records are admitted to be of evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court./ इन रिकॉर्ड्स को सबूत के तौर पर माना जाता है और किसी भी कोर्ट में पेश किए जाने पर इन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
- They are recognized as legal precedents and legal references./ इन्हें कानूनी मिसाल और कानूनी संदर्भ के तौर पर मान्यता दी जाती है।
- It has power to punish for contempt of court, either with simple imprisonment for a term up to six months or with fine up to Rs.2,000 or with both./ इसके पास कोर्ट की अवमानना के लिए सज़ा देने की शक्ति है, या तो छह महीने तक की साधारण कैद या 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों।

POMER OF JUDICIAL REVIEW



- Judicial review is the power of the Supreme Court to examine the
 constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the
 Central and state governments. / ज्यूडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट की वह शक्ति है जिसके तहत वह
 केंद्र और राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है।
- On examination, if they are found to be violative of the Constitution (ultravires), they can be declared as illegal, unconstitutional and invalid (null and void) by the Supreme Court. / जांच करने पर, अगर वे संविधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं (अल्ट्रा-वायर्स), तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें अवैध, असंवैधानिक और अमान्य (नल एंड वॉइड) घोषित कर सकता है।

CONTEMPT OF COURTS

- Contempt of Court refers to any acts or omissions that impede the functioning of a court of law in any manner. / Contempt of Court का अर्थ है ऐसे कोई भी कार्य या चूक जो किसी न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- In India, the procedures and punishments related to contempt of courts are regulated by the Contempt of Courts Act of 1971. / भारत में न्यायालय की अवमानना से संबंधित प्रक्रियाएँ और दंड Contempt of Courts Act of 1971 द्वारा विनियमित किए जाते हैं।
- As per the Act, contempt of courts can be of 2 types:/ अधिनियम के अनुसार, contempt of courts दो प्रकार की होती है:
 - a) Civil Contempt: It refers to/ Civil Contempt: इसका अर्थ है:
 - Wilful disobedience to any judgment, order, writ, or other process of a court; or / किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना; या
 - Wilful breach of an undertaking given to a court / न्यायालय को दिए गए किसी उपक्रम का जानबूझकर उल्लंघन करना।

CONTEMPT OF COURTS

- b) Criminal Contempt: It refers to the publication of any matter or doing an act that:/ Criminal Contempt: इसका अर्थ है किसी ऐसी बात का प्रकाशन या कार्य करना जिससे:
 - scandalizes or lowers the authority of a court; or / न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है या उसकी अधिकारिता कम होती है; या
 - prejudices or interferes with the due course of a judicial proceeding;
 or/ किसी न्यायिक कार्यवाही के उचित संचालन में पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप होता है; या
 - interferes or obstructs the administration of justice in any other manner. / या किसी भी अन्य प्रकार से न्याय के प्रशासन में बाधा या अवरोध उत्पन्न होता है।



COMPARISON B/W INDIAN AND AMERICAN SUPREME COURT



- 1. Its original jurisdiction is confined to federal cases.
- 2. Its appellate jurisdiction covers constitutional, civil and criminal cases.
- 3. It has a very wide discretion to grant special leave to appeal in any matter against the judgement of any court or tribunal.
- 4. It has advisory jurisdiction.
- 5. Its scope of judicial review is limited.
- 6. It defends rights of the citizen according to 'procedure established by law'
- 7. Its jurisdiction and powers can be enlarged by Parliament.
- 8. It has power of Judicial superintendence and control over state high courts due to integrated judicial system.



- 1. its original jurisdiction covers not only federal cases but also cases related to naval forces, maritime activities, ambassadors, etc.
- 2. Its appellate jurisdiction is confined to constitutional cases only.
- 3. It has no such plenary power.
- 4. It has no advisory jurisdiction.
- 5. Its scope of judicial review is very wide
- 6. It defends rights of the citizen according to the 'due process of law'
- 7. It has no such power due to double (or separated) judicial system.



COMPARISON B/W INDIAN AND AMERICAN SUPREME COURT

Indian SC

- 1. इसका ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन सिर्फ़ फ़ेडरल मामलों तक ही सीमित है।
- 2. इसका अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन संवैधानिक, सिविल और क्रिमिनल मामलों को कवर करता है।
- 3. इसे किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ किसी भी मामले में अपील करने के लिए स्पेशल लीव देने का बहुत बड़ा अधिकार है।
- 4. इसके पास एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन है।
- 5. इसके ज्यूडिशियल रिव्यू का दायरा सीमित है।
- 6. यह 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अनुसार नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है।
- 7. इसके ज्यूरिस्डिक्शन और शक्तियों को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
- 8. इंटीग्रेटेड ज्यूडिशियल सिस्टम के कारण इसे राज्य के हाई कोर्ट्स पर ज्यूडिशियल सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल की शक्ति प्राप्त है।



- इसका ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन न केवल फेडरल मामलों को कवर करता है बल्कि नौसेना, समुद्री गतिविधियों, राजदूतों आदि से संबंधित मामलों को भी कवर करता है।
- 2. इसका अपीलीय ज्यूरिस्डिक्शन केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है।
- 3. इसके पास ऐसी कोई पूरी शक्ति नहीं है।
- 4. इसके पास कोई सलाहकार ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है।
- 5. न्यायिक समीक्षा का इसका दायरा बहुत बड़ा है।
- 6. यह 'कानून की उचित प्रक्रिया' के अनुसार नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है।
- 7. दोहरे (या अलग) न्यायिक प्रणाली के कारण इसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।



- ❖ Article 124 : Establishment and constitution of Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन।
- ❖ Article 125 : Salaries of judges. / न्यायाधीशों के वेतन।
- ❖ Article 126 : Appointment of Acting Judges. / कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति।
- ❖ Article 127 : Appointment of Ad-Hoc judges. / अस्थायी (Ad-Hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति।
- ❖ Article 128 : Attendance of Retired Judges. / सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति।
- ❖ Article 129 : Supreme Court as a court of Record. / सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख का न्यायालय होगा।
- ❖ Article 130 : Seat of Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय का स्थान।
- ❖ Article 131 : Original Jurisdiction of Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र।


- ❖ Article 132 : Appellate Jurisdiction of Supreme Court (Constitutional matters). / सर्वोच्च न्यायालय का अपीली अधिकार क्षेत्र (संवैधानिक मामलों में)।
- ❖ Article 133 : Appellate Jurisdiction of Supreme Court (Civil matters). / सर्वोच्च न्यायालय का अपीली अधिकार क्षेत्र (दीवानी मामलों में)।
- ❖ Article 134 : Appellate Jurisdiction of Supreme Court (Criminal matters). / सर्वोच्च न्यायालय का अपीली अधिकार क्षेत्र (आपराधिक मामलों में)।
- ❖ Article 134A: Certificate for appeal to the Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र।
- * Article 135 : Jurisdiction and powers of the Federal Court under existing law to be exercisable by the Supreme Court. / वर्तमान कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय के अधिकार और शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएँगी।

- ❖ Article 136 : Special leave to appeal by the Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमित से अपील।
- ❖ Article 137 : Review of Judgements or orders by the Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की पुनर्विचार याचिका।
- ❖ Article 138 : Enlargement of Jurisdiction of the Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार।
- ❖ Article 139 : Conferment on the Supreme Court of power to issue certain writs. / सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना।
- ❖ Article 140 : Ancillary power of Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ।
- ❖ Article 141: Law declared by Supreme Court to be binding on all courts. / सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा।

- ❖ Article 142: Enforcement of decrees and orders. / डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन।
- ❖ Article 143 : Power of President to consult Supreme Court. / राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति।
- ❖ Article 144 : Civil and Judicial authorities to act in aid of the Supreme Court. / नागरिक एवं न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।
- ❖ Article 145 : Rules of Court etc. / न्यायालय के नियम आदि।
- ❖ Article 146 : Officers and servants and the expenses of the Supreme Court. / सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी और व्यय।
- ❖ Article 147 : Interpretation. / व्याख्या।



- The High Court is the apex court in the judicial administration of a State under the integrated judicial system established by the Constitution of India./ हाई कोर्ट भारत के संविधान द्वारा स्थापित इंटीग्रेटेड ज्यूडिशियल सिस्टम के तहत किसी राज्य के न्यायिक प्रशासन में सबसे बड़ी अदालत है।
- As per Article 214 of the Constitution, every state or Union Territory is mandated to establish at least one High Court, ensuring access to justice across the country./ संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार, हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कम से कम एक हाई कोर्ट स्थापित करना ज़रूरी है, ताकि पूरे देश में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।







- The institution of High Court originated in India in 1862 when the high courts were set up in Calcutta, Bombay, and Madras./ हाई कोर्ट की संस्था भारत में 1862 में शुरू हुई जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित किए गए।
- In 1866, a fourth high court was established at Allahabad./ 1866 में, इलाहाबाद में चौथा हाई कोर्ट स्थापित किया गया।
- In the course of time, each province in British India came to have its own Hight Court. / समय के साथ, ब्रिटिश भारत के हर प्रांत में अपना हाई कोर्ट हो गया।
- After 1950, a high court existing in a province became the high court for the corresponding state./ 1950 के बाद, एक प्रांत में मौजूद हाई कोर्ट संबंधित राज्य के लिए हाई कोर्ट बन गया।

CONSTITUTIONAL PROVISIONS OF HIGH COURT

- Articles 214 to 231 in Part VI of the Indian Constitution deal with the provisions related to the High Courts./ भारतीय संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है।
- The constitutional provisions mentioned under these articles deal with the organization, independence, jurisdiction, powers, and procedures of the High Courts/ इन अनुच्छेदों में बताए गए संवैधानिक प्रावधान हाई कोर्ट के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।

TERRITORIAL JURISDICTION OF HIGH COURT

- The Constitution of India provides for a High Court for each State./ भारत का संविधान हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान करता है।
- However, the 7th Constitutional Amendment Act of 1956 authorized the Parliament to establish a common High Court for two or more States or for two or more States and a Union Territory. / हालांकि, 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संसद को दो या दो से ज़्यादा राज्यों या दो या दो से ज़्यादा राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार दिया।
- For example -The Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have a common High Court./ उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का एक कॉमन हाई कोर्ट है।



TERRITORIAL JURISDICTION OF HIGH COURT

- The territorial jurisdiction of a High Court is co-terminus with the territory of a State. / एक हाई कोर्ट का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र एक राज्य के क्षेत्र के साथ-साथ चलता है।
- The territorial jurisdiction of a common High Court is co-terminus with the territory of a State as well as a Union Territory./ एक कॉमन हाई कोर्ट का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र एक राज्य के साथ-साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र के साथ भी चलता है।
- The Parliament can extend the jurisdiction of a High Court to any Union Territory or exclude the jurisdiction of a High Court from any Union Territory./ संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकती है या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र हटा सकती है।





Composition of High Court (उच्च न्यायालय की संरचना)

The Constitution does not specify the strength of a High Court and leaves it to the discretion of the President./ संविधान में हाई कोर्ट की संख्या तय नहीं की गई है और यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

every High Court consists of a Chief Justice and such other Judges as determined by the President./ हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और अन्य जज होते हैं, जिनकी संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं।

The President determines the strength of a High Court from time to time depending upon the workload of the High Court/ राष्ट्रपति हाई कोर्ट के वर्कलोड के आधार पर समय-समय पर हाई कोर्ट के जजों की संख्या तय करते हैं।



• The Chief Justice is appointed by the President after consultation with the Governor of the concerned State and the Chief Justice of India. / चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के गवर्नर और भारत के चीफ जस्टिस से सलाह करने के बाद करते हैं।

Appointment of other Judges of High Court:

- Other judges of the High Court are appointed by the President after consultation with the Governor of the State, the Chief Justice of India, and the Chief Justice of the concerned High Court./ हाई कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, भारत के चीफ जस्टिस और संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह करने के बाद करते हैं।
- In the case of a common High Court for two or more States, the Governors of all the States concerned are consulted by the President of India / दो या दो से ज़्यादा राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होने पर, भारत के राष्ट्रपति संबंधित सभी राज्यों के गवर्नरों से सलाह करते हैं।

QUACUALIFICATIONS JOBULDGES TO BHIGHURT

- A person to be appointed as a judge of a High Court should have the following qualifications/ हाई कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट होने वाले व्यक्ति में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए:
 - ✓ He/she should be a citizen of India, and / वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और
 - ✓ He/she should have/ उसके पास ये होना चाहिए
 - ✓ Held a judicial office in the territory of India for ten years. OR / भारत के इलाके में दस साल तक ज्यूडिशियल ऑफिस में काम किया हो। या
 - ✓ Been an advocate of a High Court (or High Courts in succession) for ten years/ दस साल तक किसी हाई कोर्ट (या एक के बाद एक कई हाई कोर्ट) में एडवोकेट रहा हो।

There is no minimum age for appointment as a judge of a High Court prescribed by the Constitution / संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है





OATH AND AFFIRMATIONS OF JUDGES OF HIGH COURT

• The Chief Justice and the Judges of the High Court make and subscribe to an oath or affirmation before the Governor of the State or some person appointed by him for this purpose./ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज राज्य के गवर्नर या इस काम के लिए उनके द्वारा अपॉइंट किए गए किसी व्यक्ति के सामने शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं और उस पर साइन करते हैं।

SALSALARIES BLAKLOWANCES OF JUDGES TO EHIGHURT

• The salaries, allowances, privileges, leave, and pension of the judges of the High Court are determined by the Parliament from time to time. / हाई कोर्ट के जजों की सैलरी, अलाउंस, सुविधाएं, छुट्टी और पेंशन समय-समय पर पार्लियामेंट तय करती है।

TENURE OF JUDGES OF HIGH COURT

- He/she holds office until he attains the age of 62 years. / वह 62 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं।
- He/she can resign from his/her office by writing to the President. / वह राष्ट्रपति को लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
- He/she can be removed from his/her office by the President on the recommendation of the Parliament./ उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।
- He/she vacates his/her office when he/she is appointed as a judge of the Supreme Court or when he/she is transferred to another High Court /जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाता है या जब उनका ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में हो जाता है तो वह अपना पद छोड़ देते हैं।





- A High Court judge may vacate their office under several circumstances:/ एक हाई कोर्ट जज कई हालातों में अपना पद छोड़ सकते हैं:
- If a judge wishes to resign, they submit their resignation letter to the President of India./ अगर कोई जज इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो वे अपना इस्तीफ़ा लेटर भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
- a judge's office will be considered vacated if they are appointed to the Supreme Court or transferred to a different High Court./ अगर किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है या किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उनका पद खाली माना जाएगा।
- A High Court judge can be removed from office. This can happen if both Houses of Parliament pass a motion against the judge with an absolute majority and a two-thirds majority of the members present and voting, when sitting separately. The final decision is made by the President of India./ एक हाई कोर्ट जज को पद से हटाया जा सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब संसद के दोनों सदन अलग-अलग बैठकर, मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत और पूरी मेजॉरिटी से जज के खिलाफ एक मोशन पास करें। आखिरी फैसला भारत के राष्ट्रपति करते हैं।



Lok Sabha Speaker sets in motion the process to remove Allahabad High Court Justice Yashwant Varma.

लोकसभा स्पीकर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

The three-member committee includes
Justice Arvind Kumar of the Supreme
Court, Justice Manindra Mohan
Srivastava, Chief Justice of the Madras
High Court and Senior Advocate of
Karnataka High Court B.V. Acharya.

इस तीन सदस्यीय कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बी.वी. आचार्य शामिल हैं।



Transfer of Judges of High Court (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण)

• The President of India can transfer a judge of one High Court to another High Court after consulting the Chief Justice of India./ भारत के राष्ट्रपति भारत के चीफ जस्टिस से सलाह लेने के बाद एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं।

As per Third Judges Case (1998), in case of transfer of a judge of the High Court, the Chief Justice of India should consult, in addition to a collegium of 4 seniormost judges of the Supreme Court, the Chief Justices of the two High Courts concerned. थर्ड जजेज़ केस (1998) के अनुसार, हाई कोर्ट के किसी जज के ट्रांसफर के मामले में, भारत के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजों के कॉलेजियम के अलावा, संबंधित दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सलाह लेनी चाहिए।



Acting Judge

- The President can also appoint a duly qualified person as an acting judge of a High Court when a judge of that High Court is:
- unable to perform the duties of his/her office due to absence or any other person
- appointed to act temporarily as
 Chief Justice of that High Court
- An acting judge holds office until the permanent judge resumes his/her office. However, he/she cannot hold office after attaining the age of 62 years.



Additional Judge

- The President can appoint duly qualified persons as additional judges of a High court for a temporary period not exceeding two years when:
- there is a temporary increase in the business of the High Court,
- there are arrears of work in the High Court.
- An additional judge cannot hold office after attaining the age of 62 years



Retired Judge

- The Chief Justice of a High Court of a State can request a retired judge of that High Court or any other High Court to act as a judge of the High Court of that State for a temporary period.
- The Chief Justice of a High Court of a
 State can do so only with the
 previous consent of the
 President and also of the person to
 be so appointed.
- Allowances of such a judge are determined by the President of India.
- He/she enjoys all the jurisdiction, powers, and privileges of a judge of that High Court. But, he/ she will not otherwise be deemed to be a judge of that high court.

- ग्रह्मच्या हिप्रश्नित्त ग्रह्म हिप्र स्वाप्त हिप्र स्वाप्त है स
- िं ठ्य डुन्नीं क्रहभूत्रक्रह्म त्रल्लु प्रफ्रय ठ्य

सकङ्काद्र सक्र इत्ह स्वा

• ुक्र ुफ्र तह प्रप्रप्रशक्त भक्त कि इस्ह इक्त इच्च च्च ड भन्न इत्रप्रक्र भक्र प्रक इच्च इनकों भ्रप्रप्रक्ष इक्त इक्त प्रक्ष च्च

v se sea eas

ठ्यड्डल ह नप्तजापङ्च महत्यक दुनजह

क्तन कह

ठ्यत्रज्ञ त्रह्म प्रज्ञ भूह में च्हान्स्य क्रिक्स प्रज्ञ हैं इसिंध क्रच्च ठ्यक श्ह्र इसे प्रज्ञ इसे इसे क्रिक्स क्रा क्रिक्स प्रज्ञ हों इसे क्रिक्स क

- इनीं क्रहभ्रत्नक्रह क्रनङ ङ्गीं भूहंभं च्ह्हच्छुङ दह्म च्छु इह
- इन्नीं क्रहभ्रव्नर्ज्ञों क्रनङ्ग क्रन
- ुप्तव ट्यकज प्रप्र 62 ठ्यक्रज क्रेल हिंद्र क्रह्म ङ्गित ङक्त ङक्य कर्

- च्याः क्रह्म ड्रनीं क्रह्मभ्रव्यक्रह्म त्रल्लेख प्रक्र्य ठ्य ्रठ्यन्न प्रठ्येखल ब्रह्माठ्यत्रोभ च च िठ्य ० फ्रद्र क्रल्ल इ.ड. ज्ह्यात्रकाड इ.प.१ ठ्यह्म ड्ल्लं क्रच्च ठ्यक श्ह्म ड्याप्तप्र ठ्यह्म टिंग शच्चड
- ूठ्या प्रप्न क्रह्म ं जात्रीहरुय ङ्वात्रच्या क्रह्म
- र्गि र्गि ठिय डुन्नीं क्रह्मभ्रत्नक्रह्म प्र प्र क्रह्म ठयङ्गल पिक्त क्रन्नच्ये टयभ्रद्भ ङ्गन्हच च्य ेर्पि र्गी

ीं ठ्य इनीं क्रहभ्रवक्रन प्रप्र कड्लूङ्गनकन

JURISDICTION OF HIGH COURT

- √ The present jurisdiction and powers of a High Court are governed by multiple sources, including:/ हाई कोर्ट का मौजूदा अधिकार क्षेत्र और शक्तियां कई सोर्स से तय होती हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - ❖ the constitutional provisions,/ संवैधानिक प्रावधान,
 - ❖ the Letters Patent,/ लेटर्स पेटेंट,
 - ❖ the Acts of Parliament,/ संसद के अधिनियम,
 - ❖ the Acts of State Legislature,/ राज्य विधानमंडल के अधिनियम,
 - ❖ the Indian Penal Code, 1860,/ भारतीय दंड संहिता, 1860,
 - ❖ the Criminal Procedure Code, 1973, and/ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973, और
 - ❖ the Civil Procedure Code, 1908./ दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908।
- √ The extensive jurisdiction and powers of the High Court can be classified into the following categories:/ हाई कोर्ट के व्यापक अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
 - ❖ Original jurisdiction/ मूल क्षेत्राधिकार
 - ❖ Writ Jurisdiction/ रिट क्षेत्राधिकार
 - ❖ Appellate jurisdiction/ अपीलीय क्षेत्राधिकार
 - ❖ Supervisory Jurisdiction/ पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार

Original Jurisdiction

- Disputes relating to the election of members of Parliament and State Legislatures.
- Regarding revenue matters or an act ordered or done in revenue collection.
- Enforcement of fundamental rights of citizens.
- Cases ordered to be transferred from a subordinate court involving the interpretation of the Constitution to its own file.
- The four High Courts (i.e., Calcutta, Bombay, Madras and Delhi High Courts) have original civil jurisdiction in classes of higher value.



Writ Jurisdiction

- As per Article 226 of the Indian
 Constitution, the High Court is empowered
 to issue writs for the enforcement of
 Fundamental Rights and any ordinary
 legal right.
- The writ jurisdiction of the High
 Court is not exclusive but concurrent
 with the writ jurisdiction of the Supreme
 Court.
- However, the writ jurisdiction of the High Court is wider than that of the Supreme
 Court
- While the Supreme Court can issue writs
 only for the enforcement of fundamental
 rights, the High Court can issue writs for
 the enforcement of Fundamental Rights
 as well as any ordinary legal right

Appellate Jurisdiction

- The High Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgments of Subordinate Courts functioning within the territorial jurisdiction of the State.
- The Appellate Jurisdiction of the Supreme Court can be classified under the following two heads:
- 1. Appeals in Civil Matters
- 2. Appeals in Criminal Matters

मूल न्यायाधिकार

- संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद।
- राजस्व मामलों या राजस्व वसूली में किए गए किसी कार्य या आदेश से संबंधित।
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करना।
- संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को निचली अदालत से अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश देना।
- चार हाई कोर्ट (यानी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट) के पास ज़्यादा कीमत वाले मामलों में ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन है।



रिट क्षेत्राधिकार

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार, हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों और किसी भी सामान्य कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है।
- हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिस्डिक्शन के साथ-साथ चलता है।
- हालांकि, हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है।
- जबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी भी सामान्य कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार

- हाई कोर्ट मुख्य रूप से एक अपील कोर्ट है और यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है।
- सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकार क्षेत्र को इन दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है:
 - 1. सिविल मामलों में अपील
 - 2. आपराधिक मामलों में अपील



Supervisory Jurisdiction

- A High Court has the power of superintendence over all courts and tribunals functioning in its territorial jurisdiction, except military courts or tribunals.
- This power of superintendence of a High Court extends to all courts and tribunals whether they are subject to the appellate jurisdiction of the High Court or not.
- The following points are to be noted w.r.t. the Supervisory Jurisdiction of High Courts:
 - It covers not only administrative superintendence but also judicial superintendence,
 - it is a revisional jurisdiction,
 - it can be suo-motu (on its own) and not necessarily on the application of a party



पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार

- एक हाई कोर्ट के पास मिलिट्री कोर्ट या ट्रिब्यूनल को छोड़कर, अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले सभी कोर्ट और ट्रिब्यूनल पर सुपरवाइज़री पावर होती है।
- हाई कोर्ट की यह सुपरवाइज़री पावर सभी कोर्ट और ट्रिब्यूनल पर लागू होती है, चाहे वे हाई कोर्ट के अपीलीय अधिकार क्षेत्र में आते हों या नहीं।
- हाई कोर्ट के सुपरवाइज़री ज्यूरिस्डिक्शन के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए:
- इसमें न केवल एडिमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइज़री बल्कि ज्यूडिशियल सुपरवाइज़री भी शामिल है,
- यह एक रिविजनल ज्यूरिस्डिक्शन है,
- यह सुओ-मोटो (अपने आप) हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि किसी पार्टी के आवेदन पर ही हो।



High Court to be a court of record : (हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ़ रिकॉर्ड होगा)



- The judgments, proceedings, and acts of the Supreme Court are recorded for perpetual memory and testimony./ सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कार्यवाही और काम हमेशा याद रखने और सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं।
- These records are admitted to be of evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court./ ये रिकॉर्ड सबूत के तौर पर माने जाते हैं और किसी भी कोर्ट में पेश किए जाने पर इन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
- These judgments are recognized as legal precedents and legal references/ इन फैसलों को कानूनी मिसाल और कानूनी संदर्भ के तौर पर मान्यता दी जाती है।
- It has the power to punish for contempt of not only itself but also contempt of subordinate courts./ इसे न केवल अपनी बल्कि निचली अदालतों की अवमानना के लिए भी सज़ा देने का अधिकार है।
- The power to review and correct its own judgment, order, or decision/ अपने खुद के फैसले, आदेश या निर्णय की समीक्षा करने और उसे सुधारने का अधिकार।



Power of Judicial Review: (न्यायिक समीक्षा की शक्ति)

- It refers to the power of the High Court to examine the constitutionality of legislative acts and executive orders of both the Central and the State Governments
- इसका मतलब है कि हाई कोर्ट के पास केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी कामों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति है।



IMPORTANT ARTICLE RELATED TO HIGH COURT

Article No. / अनुच्छेद	Subject Matter / विषय वस्तु
214	• High Courts for states / राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
215	• High Courts to be court of Record / उच्च न्यायालय अभिलेख का न्यायालय होगा
216	• Constitution of High Court / उच्च न्यायालय की संरचना
217	• Appointment and condition of the office of a judge of HC / उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें
218	• Application of certain provisions relating to SC to HC / सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालय पर अनुप्रयोग
219	• Oath or Affirmation by judges of High Court / उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
220	• Restriction on practice after being a permanent judge / स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद वकालत पर प्रतिबंध
221	• Salaries etc. of judges / न्यायाधीशों के वेतन आदि
222	• Transfer of judge from one High Court to another / एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण
223	• Appointment of Acting Chief Justice / कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

IMPORTANT ARTICLE RELATED TO HIGH COURT

Article No. / अनुच्छेद	Subject Matter / विषय वस्तु
224	• Appointment of Additional and Acting Judge / अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति
224A	• Appointment of retired judges at sitting of High Court / उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
225	• Jurisdiction of existing High Court / विद्यमान उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र
226	• Power of High Court to issue certain writs / उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति
227	• Power of superintendence over all courts by High Court / उच्च न्यायालय द्वारा सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण की शक्ति
228	• Transfer of certain cases to High Court / कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करना
229	• Officers and servants and the expenses of High Court / उच्च न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी और व्यय
230	• Extension of jurisdiction of High Court to Union Territories / उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तार
231	• Establishment of a common High Court for two or more states or state and union territories / दो या अधिक राज्यों या राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक समान उच

SUBORDINATE COURTS (THE BACKBONE OF INDIA'S JUDICIAL SYSTEM)



Subordinate courts are situated below the high court, these courts handle a wide range of civil and criminal cases, providing access to justice for citizens across various jurisdictions./ सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे होते हैं, ये कोर्ट कई तरह के सिविल और क्रिमिनल केस संभालते हैं, और अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों में नागरिकों को न्याय तक पहुंच प्रदान करते हैं।

Articles 233 to 237 in Part VI of the Constitution make the following provisions to regulate the organization of subordinate courts and to ensure their independence from the executive./ संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 233 से 237 तक सबऑर्डिनेट कोर्ट के संगठन को रेगुलेट करने और कार्यपालिका से उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं।





District and Sessions Judge Court

Chief judicial magistrate court

Highest judicia

pecuniary jurisdiction over civil suits

Unlimited

- Civil cases of small pecuniary
- __ Munsiff's court

Subordinate

judges court

▼ Judicial magistrate

court

- Highest judicial authority of district. / जिले की सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण।
- Both Civil (district judge) and criminal (sessions judge). / यह दीवानी (जिला न्यायाधीश) और आपराधिक (सत्र न्यायाधीश) दोनों होता है।
- Administrative, judicial, and supervisory powers. / प्रशासनिक, न्यायिक और पर्यवेक्षण संबंधी शक्तियाँ रखता है।
- Appeal lies to high court. / इसके निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है।
- Capital punishment: subject to confirmation by the high court. / मृत्युदंड की सजा: उच्च न्यायालय की पुष्टि के अधीन होती है।

IMPORTANT ARTICLES RELATED TO SUBORDINATE COURTS

Article No. / अनुच्छेद संख्या	Subject Matter / विषय वस्तु
233	• Appointment of district Judges / जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
233A	• Validation of appointments of, and judgement etc. delivered by certain district judges / कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णय आदि की वैधता
234	• Recruitment of persons other than district judges to the judicial service / जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त व्यक्तियों की न्यायिक सेवा में भर्ती
235	• Control over subordinate courts / अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
236	• Interpretation / व्याख्या
237	• Application of the provisions of this chapter to certain class or classes of Magistrate / इस अध्याय के प्रावधानों का कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर अनुप्रयोग





SOME OTHER JUDGMENTS

Case / मामला	Judgment / निर्णय
1. Indra Nehru Gandhi case (1975)	Struck down 39th amendment; upheld judicial review, free and fair elections and democracy as basic features of the constitution. / 39वें संशोधन को रद्द किया गया; न्यायिक पुनरीक्षण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा लोकतंत्र को संविधान की मूल विशेषताएँ माना गया।
2. ADM Jabalpur Case (1976)	Court upheld suspension of right to life during emergency; justice Khanna's dissent later became the foundation for human rights and liberty in India. / अदालत ने आपातकाल के दौरान जीवन के अधिकार के निलंबन को सही ठहराया; न्यायमूर्ति खन्ना का विरोध बाद में भारत में मानवाधिकार और स्वतंत्रता की नींव बना।
3. Bachan Singh case (1980)	Death penalty upheld; to be applied only in the "rarest of rare" cases under fair, just, and reasonable procedure. / मृत्युदंड को बरकरार रखा गया; इसे केवल "अत्यंत दुर्लभतम" मामलों में, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया के तहत लागू किया जाना चाहिए।

SOME OTHER JUDGMENTS)

Case / मामला	Judgment / निर्णय
4. DC Wadhwa case (1986)	Re-promulgation of ordinances is unconstitutional; it is a fraud on the constitution and undermines legislative authority. / अध्यादेशों का पुनःप्रख्यापन असंवैधानिक है; यह संविधान के साथ छल है और विधायी अधिकार को कमजोर करता है।
5. Kihoto Hollohan (1992)	Upheld anti-defection law; speaker's decision is subject to judicial review after final decision. / दल-बदल विरोधी कानून को बरकरार रखा गया; अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय के बाद न्यायिक पुनरीक्षण के अधीन है।
6. Unni Krishnan case (1993)	Declared right to education as part of Article 21; led to Article 21A ensuring free education for children up to 14 years. / शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का हिस्सा घोषित किया गया; इससे अनुच्छेद 21A बना जिसने 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित की।

Practice Time

- 1. Disputes between two or more states come under the ____ of the Supreme Court.
- दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के ____ के अंतर्गत आते हैं।
- (a) Original Jurisdiction / मूल अधिकारिता
- (b) Advisory jurisdiction / परामर्शाधिकारिता
- (c) Appellate jurisdiction / अपीली अधिकारिता
- (d) Writ jurisdiction / रिट अधिकारिता



SSC STENOGRAPHER 12/10/23



Practice Time

- 2. The state of Kerala vs Leesamma Joseph case deals with ____ केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ मामला ___ से संबंधित है।
- (a) Dowry / दहेज
- (b) The economic weaker section / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- (c) Education / शिक्षा
- (d) Persons with disability / दिव्यांग व्यक्तियों से



SSC CGL 2023



- 3. The Supreme Court of India came into existence on ____
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय को अस्तित्व में आया।
- (a) 30 January 1935 / 30 जनवरी 1935
- (b) 26 January 1950 / 26 जनवरी 1950
- (c) 15 August 1947 / 15 अगस्त 1947
- (d) 2 October 1952 / 2 अक्टूबर 1952



SSC CGL 24/07/2023



4. Till which year did High Court of Delhi continue to exercise jurisdiction of Himachal Pradesh?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस वर्ष तक जारी रखा?

- (a) 1969
- (b) 1967
- (c) 1971
- (d) 1968

SSC CGL 27/07/23




Practice Time

- 5. The first High Court of India was established in the year ___ भारत का पहला उच्च न्यायालय वर्ष में स्थापित किया गया था।
- (a) 1860
- (b) 1862
- (c) 1867
- (d) 1857

SSC MTS 03/05/23



- 6. In which of the following cases did the Supreme Court of India pronounce the theory of the 'Basic Structure' of the Constitution?
- निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की 'मूल संरचना' के सिद्धांत को प्रतिपादित किया?
- (a) Kesavananda Bharti case, 1973 / केशवानंद भारती मामला, 1973
- (b) Golaknath case, 1967 / गोलकनाथ मामला, 1967
- (c) Minerva mill case, 1980 / मिनर्वा मिल मामला, 1980
- (d) Swarn singh case, 1989 / स्वरन सिंह मामला, 1989



SSC CGL 2022



- 7. Which is not correct about the independence of the judiciary in our country? हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
- (a) The judiciary has the power to penalise those who are found guilty of contempt of court. / न्यायपालिका के पास अदालत की अवमानना के दोषियों को दंडित करने की शक्ति है।
- (b) The judges are financially dependent on both the executive and legislature / न्यायाधीश कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं।
- (c) The constitution prescribes a very difficult procedure for removal of judges. / संविधान न्यायाधीशों को हटाने की एक बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- (d) The legislature is not involved in the process of appointment of Judge-न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं है।

SSC CPO 2022



- 8. Who amongst the following is NOT part of the Union Executive?
- निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है?
- (a) The Prime Minister of India / भारत के प्रधानमंत्री
- (b) The President of India / भारत के राष्ट्रपति
- (c) The Supreme Court of India / भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- (d) The council of Ministers / मंत्रिपरिषद



SSC CHSL 25/05/22





- 9. A judge of the Supreme Court can be removed on the grounds of ___ सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को के आधार पर हटाया जा सकता है।
- (a) Disrespect of the Constitution / संविधान के प्रति असम्मान
- (b) Proven misbehaviour or incapacity / सिद्ध कदाचार या अक्षमता
- (c) Murder charges / हत्या के आरोप
- (d) Lack of knowledge / ज्ञान की कमी



SSC CGL 2022



10. A Supreme court or High Court judge can be removed by the Parliament by:

सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा किस प्रकार से हटाया जा सकता है?

- (a) Simple majority / साधारण बहुमत
- (b) Both simple and two third majority / साधारण एवं दो-तिहाई दोनों बहुमत से
- (c) Special majority / विशेष बहुमत
- (d) Two third majority / दो-तिहाई बहुमत



SSC CPO 2022



11. Which of the following qualifications should the judges of the Supreme Court have?

निम्नलिखित में से कौन-सी योग्यताएँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में होनी चाहिए?

- (a) He must have worked as a judge for at least 5 years in one or more High Courts continuously / उन्होंने एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष लगातार न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो।
- (b) He must have been an advocate for 10 years in one or more High Courts continuously / उन्होंने एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष लगातार अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो।
- (c) He must be an accomplished jurist / वे एक प्रतिष्ठित न्यायविद हों।
- (d) Any of the above / उपरोक्त में से कोई भी





- 12. Ad hoc judges are appointed in the Supreme Court when-
- सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब—
- (a) Some judges go on long-term leave / कुछ न्यायाधीश लंबे अवकाश पर जाते हैं।
- (b) No one is available for permanent appointment / स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता।
- (c) There is an extraordinary increase in the cases pending before the court / अदालत के समक्ष लंबित मामलों में असाधारण वृद्धि हो जाती है।
- (d) There is no quorum of judges for any session of the court / अदालत के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता।



13. The appointment of ad-hoc judges in the Supreme Court is inspired by the judicial system of which country?

सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी (ad-hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित है?

- (a) Australia / ऑस्ट्रेलिया
- (b) Canada / कनाडा
- (c) USA / अमेरिका
- (d) France / फ्रांस





14. Against which judge of the Supreme Court, the impeachment motion brought in the Lok Sabha on 11 May, 1993 failed?

सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव विफल हुआ था?

- (a) Justice Kuldeep Singh / न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह
- (b) Justice V. P. Jeevan Reddy / न्यायमूर्ति वी. पी. जीवन रेड्डी
- (c) Justice V. Ramaswami / न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी
- (d) Justice S. P. Bharucha / न्यायमूर्ति एस. पी. भरूचा





15. Which of the following Chief Justices of India acted as President?

निम्नलिखित में से किस भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया?

- (a) Justice S. Hidayatullah / न्यायमूर्ति एस. हिदायतुल्लाह
- (b) Justice Mehar Chand Mahajan / न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन
- (c) Justice P. N. Bhagwati / न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती
- (d) Justice B. K. Mukherjee / न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी





- 16. Which language is used for judicial work in the Supreme Court?
- सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है?
- (a) Hindi / हिन्दी
- (b) English / अंग्रेज़ी
- (c) Both Hindi and English / हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों
- (d) Any language included in the 8th Schedule / आठवीं अनुसूची में शामिल कोई
- भी भाषा



- 17. In judicial review, the court has the following rights-
- न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय के पास निम्न अधिकार होते हैं-
- (a) If any law or order is against the constitution, then declaring it unconstitutional / यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध है, तो उसे असंवैधानिक घोषित करना।
- (b) Reviewing the orders of lower courts / निचली अदालतों के आदेशों की समीक्षा करना।
- (c) Hearing appeals against the decisions of lower courts / निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनना।
- (d) Examining the law from the point of view of whether the prescribed procedure has been followed in making it / यह जांचना कि कानून बनाते समय निर्धा
- प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं।

18. Which of the following cases cannot be filed directly in the High Court?

निम्नलिखित में से कौन-सा मामला सीधे उच्च न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता?

- (a) Dispute between two or more States / दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
- (b) Case against violation of Fundamental Rights / मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध मामला।
- (c) Property of a person being forcibly taken over by another / किसी व्यक्ति
- की संपत्ति का जबरन अधिग्रहण किया जाना।
- (d) Both (a) and (b) / (a) और (b) दोनों।



- 19. To whom is a mandamus issued by the Supreme Court?
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा mandamus (मैंडमस) किसे जारी किया जाता है?
- (a) To an officer to carry out government orders / सरकारी आदेशों को लागू करने के लिए किसी अधिकारी को।
- (b) To the Prime Minister to dissolve the cabinet / मंत्रिमंडल भंग करने के लिए प्रधानमंत्री को।
- (c) To a company to increase wages / मजदूरी बढ़ाने के लिए किसी कंपनी को।
- (d) To the government to pay the salaries of employees / कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए सरकार को।



- 20. According to the National Human Rights Commission Act 1993, who among the following can become the Chairman of this Commission? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है?
- (a) Any serving judge of the Supreme Court / सर्वोच्च न्यायालय का कोई कार्यरत न्यायाधीश।
- (b) Any serving judge of the High Court / उच्च न्यायालय का कोई कार्यरत न्यायाधीश।
- (c) Only retired Chief Justice of India / केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
- (d) Only retired Chief Justice of High Court / केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						В													



